न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रियांबडी (नागौर)
बइजलास श्री गौरीशंकर शर्मा,आर.ए.एस
राजस्व वाद संख्या : 283/2017

वादी:–
1–रामभजन पुत्र सुखाराम
2–रूपाराम पुत्र सुखाराम
3–चैनाराम पुत्र सुखाराम
जातियान जाट निवासी लाम्पोलाई तहसील रियांबड़ी जिला नागौर

बनाम

प्रतिवादीगण :–
1–शिवकरण पुत्र सुखाराम
2–रामेश्वर पुत्र सुखाराम
3–मिस्साराम पुत्र सुखाराम
4–कमला पुत्री सुखाराम
सभी जातियान जाट निवासी लाम्पोलाई तहसील रियांबड़ी
5–तहसीलदार रियांबड़ी

दावा बाबत बंटवाड़ा खातेदारी घोषणा अंतर्गत धारा 53,88आरटीएक्ट 1955

निर्णय

दिनांक :–18.5.2018

वादीगण निम्न वाद पेश करता है :–

1– यह है कि वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 से 4 हिन्दु है तथा एक ही परिवार के सदस्य है तथा हिन्दु विधि की मिताक्षरा शाखा की बनारस स्कूल से गर्वन होते है। सभी स्व.सुखाराम जी के वारिसान है।

2–यह है कि मौजा जैसास रोहिट की सरहद में स्थित खेत खसरा नंबर 198 रकबा 9.25 हैक्टर भूमि वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1से 4 की संयुक्त काश्त व कब्जासुदा भूमि आई हुई है। उक्त सम्पूर्ण आराजी पर वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 से 4 का सहूलियत से अलग अलग काश्त व कब्जा है। उक्त खसरान की भूमि आगे वाद में मुतनाजा आराजी के नाम से सम्बोधित की गई है। नक्शा खतौनी व मिलान क्षैत्रफल की नकल साथ में पेश है।

3–यह है कि वादग्रस्त खसरान की भूमि में वादीगण के पिता स्व. सुखराम जी की खातेदारी की काश्त व कब्जासुद थी। सुखाराम जी का स्वर्गवास दिनांक 10.7.2014 को हो गया। सुखाराम जी के स्वर्गवास के बाद मुतनाजा आराजी वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 1 से 4 को उतराधिकार में प्राप्त हुई। इसलिए वादग्रस्त खसरान भूमि पक्षकारान की पैतृक भूमि है। तथा वादग्रस्त खसरान की भूमि में वादी को जन्म से अधिकार प्राप्त है।

4–यह है कि वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 से 4 ने वादग्रस्त आराजी का मौके पर सहूलियत के अनुसार जुबानी बंटवारा आज से करीब 1 वर्ष पूर्व कर लिया है बंटवारा का नजरी नक्शा साथ में पेश है जो दावा का भाग है। बंटवारा निम्न प्रकार से है।

वादी संख्या 1 के बंट में :–
मौजा जैसास रोहिट की सरहद में स्थित खसरा नंबर 198 रकबा 9.25 हैक्टर में सें 2.30 हैक्टर पश्चिमी नजरी नक्शा में दर्शित अनुसार।

वादी संख्या 2 के बंट में:–

अध्यक्ष
राजस्व लोक अदालत
कैम्प .....
रियां बड़ी

मौजा जैसास रोहिट की सरहद में स्थित खसरा नंबर 198 रकबा 9.25 हैक्टर में सें 2.30 हैक्टर दक्षिणी–पूर्वी हिस्सा नजरी नक्शा में दर्शित अनुसार।
वादी संख्या 3 के बंट में :–
मौजा जैसास रोहिट की सरहद में स्थित खसरा नंबर 198 रकबा 9.25 हैक्टर में सें 2.32 हैक्टर मध्य हिस्सा नजरी नक्शा में दर्शित अनुसार।
प्रतिवादी संख्या 3 मिस्साराम के बंट में :–
मौजा जैसास रोहिट की सरहद में स्थित खसरा नंबर 198 रकबा 9.25 हैक्टर में सें 2.33 हैक्टर उतरी–पूर्वी हिस्सा नजरी नक्शा में दर्शित अनुसार।
नोट :– मिस्साराम व चैनाराम के बंट की जमीन के उतरी माठ के सहारे–सहारे 10 फुट चौड़ा रास्ता पक्षकारान के आने–जाने हेतू रहेगा। जो नजरी नक्शा में दर्शित है।

प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को सरहद लाम्पोलाई में खसरा नंबर 776 रकबा 3.51 हैक्टर की भूमि बंट में दी गई है। तथा प्रतिवादी संख्या 4 ने अपने हक व हिस्से की एवज में वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 3 से नगदी व जेवरात प्राप्त कर लिये है। तथा अपना सम्पूर्ण हक वादीगण व प्रतिवादी संख्या 3 के हक में मौखित रूप से तर्क कर दिया है। जिससे वादग्रस्त खसरान की भूमि में प्रतिवादीगण संख्या 1,2 व 4 का कोई हक बंट,अधिकार काश्त कब्जा नहीं है।

5–यह है कि वादग्रस्त खसरान की खातेदारी वादीगण व प्रतिवादीगण के पिता के नाम दर्ज है। तथा वादग्रस्त खसरान की भूमि पर वादीगणा व प्रतिवादीगण का सहूलियत से नजरी नक्शा अनुसार अलग अलग काश्त व कब्जा है। तथा अलग अलग सीवें कायम की हुई है। मगर वादग्रस्त भूमि का बंटवारा अभी बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस नहीं हुआ है। जिससे वादीगण यह वाद बाबत बंटवाड़ा का पेश करते है।

6–यह है कि उक्त मुतनाजा आराजी पर कब्जा काश्त वादीगण व प्रतिवादीगण का सहूलियत से अलग अलग है। मगर मुतनाजा आराजी की खातेदारी सुखाराम जी के नाम दर्ज है। इसलिए वादीगण यह घोषणा का वाद पेश कर रहे है।

वादीगण का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन जबाब हेतू तलब किया गया। वादीगण संख्या 1 व 2 मय अधिवक्ता व प्रतिवादीगण संख्या 1 से 4 मय अधिवक्ता के राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार कैम्प पादुकलां में हाजिर होकर अपना राजीनामा पेश किया गया। राजीनामा पढकर सुनाया गया। सुन समझ सही होना स्वीकार किया गया। वादी संख्या 3 की ओर से जरिए वकील राजीनामा पेश किया गया। राजीनामा बाद पहचान के तस्दीक किया जाकर सामिल मिसल किया गया।

वकील पक्षकारान की बहस समायत की गई। वकील वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 1 से 4 ने अपनी बहस में बताया कि वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 1 से 4 एक ही परिवार के सदस्य है जो सुखाराम जी के उतराधिकारी है। वर्तमान में वादग्रस्त आराजी सुखाराम जी की खातेदारी में दर्ज है। मगर सुखाराम जी का स्वर्गवास 2014 में हो चूका है जिसका मृत्यु प्रमाण पत्र साथ में पेश किया गया है। वादग्रस्त भूमि सुखाराम जी की पैतृक है और उनके बाद वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 1 से 4 को उतराधिकार अधिनियम के तहत प्राप्त है। जिसका आपसी सहमति से बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस बंटवारा करवाना चाहते है। इसलिए वाद पत्र के पैरा संख्या 4 में वर्णितानुसार अलग अलग बंटवारा कर दिया जावें जिस पर किसी को आपत्ति नहीं है।

वकील पक्षकारान की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध राजस्व रेकार्ड जमाबंदी मौजा जैसास रोहिट संवत् 2071–2074 का अवलोकन किया गया। जिससे पाया गया कि वादग्रस्त आराजी सुखाराम पुत्र भंवरा कौम जाट के नाम दर्ज है। जिनका स्वर्गवास 2014 में हो चूका है। जिनका मृत्यु प्रमाण पत्र भी पेश किया हुआ है। वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 1 से 4 स्व.सुखाराम जी के वारिसान है जिनका प्रमाण ग्राम पंचायत के सिजरा प्रमाण पत्र से विदित है। वादग्रस्त भूमि का आपसी सहमति से बंटवारा करवाना चाहते है। मौके पर बंटवारा किया हुआ है। सीवें माठें कायम की हुई है। मगर राजस्व रेकार्ड में संयुक्त खातेदारी दर्ज है।

अतः समस्त विवेचन से वादीगण का वाद जरिए राजीनामा के स्वीकार किया जाता है। तथा वादीगण व प्रतिवादीगण के बीच निम्न प्रकार से बंटवारा किया जाकर खातेदारी की घोषणा की जाती है :–

अध्यक्ष
राजस्व लोक अदालत
कैम्प .....
रियां बड़ी

1–वादी संख्या 1 रामभजन के बंट में :–
मौजा जैसास रोहिट की सरहद में स्थित खसरा नंबर 198 रकबा 9.25 हैक्टर में सें 2.30 हैक्टर पश्चिमी नजरी नक्शा में दर्शित अनुसार।
2–वादी संख्या 2 रूपाराम के बंट में:–
मौजा जैसास रोहिट की सरहद में स्थित खसरा नंबर 198 रकबा 9.25 हैक्टर में सें 2.30 हैक्टर दक्षिणी–पूर्वी हिस्सा नजरी नक्शा में दर्शित अनुसार।
3–वादी संख्या 3 चैनाराम के बंट में :–
मौजा जैसास रोहिट की सरहद में स्थित खसरा नंबर 198 रकबा 9.25 हैक्टर में सें 2.32 हैक्टर मध्य हिस्सा नजरी नक्शा में दर्शित अनुसार।
4–प्रतिवादी संख्या 3 मिस्साराम के बंट में :–
मौजा जैसास रोहिट की सरहद में स्थित खसरा नंबर 198 रकबा 9.25 हैक्टर में सें 2.33 हैक्टर उतरी–पूर्वी हिस्सा नजरी नक्शा में दर्शित अनुसार।
नोट :–मिस्साराम व चैनाराम के बंट की जमीन के उतरी माठ के सहारे–सहारे 10 फुट चौड़ा रास्ता पक्षकारान के आने–जाने हेतू रहेगा। जो नजरी नक्शा में दर्शित है।
प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को सरहद लाम्पोलाई में खसरा नंबर 776 रकबा 3.51 हैक्टर की भ्झूमि बंट में दी गई है। तथा प्रतिवादी संख्या 4 ने अपने हक व हिस्से की एवज में वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 3 से नगदी व जेवरात प्राप्त कर लिये है। तथा अपना सम्पूर्ण हक वादीगण व प्रतिवादी संख्या 3 के हक में मौखित रूप से तर्क कर दिया है। जिससे वादग्रस्त खसरान की भूमि में प्रतिवादीगण संख्या 1,2 व 4 का कोई हक बंट,अधिकार काश्त कब्जा नहीं है।

तहसीलदार रियांबड़ी उपरोक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में बंटवारा कर खातेदारी दर्ज की जावें तथा राजस्व नक्शे में तरमीम की जावें। इसी आशय का डिकी पर्चा जारी हो। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करें। तहसीलदार को तहरीर जारी हो।

नोटः–उपरोक्त खसरान में सें अगर बैंक के रहन रखा गया हो तो रहन यथावत रहेगा।

अध्यक्ष
(गौरीशंकर शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
रियांबड़ी
राजस्व लोक अदालत
कैम्प–पादुकलां

निर्णय आज दिनांक 18.05.2018 को राजस्व लोक अदालत कैम्प पादुकलां में सुनाया गया ।

अध्यक्ष
(गौरीशंकर शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
रियांबड़ी
राजस्व लोक अदालत
कैम्प–पादुकलां